वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

1971-72

शिक्षा विभाग हरियाणा

प्रकाशक

निदेशक, शिक्षा विभाग,

हरियाणा

वार्षिक

प्रशासनिक

रिपोर्ट

शिक्षा विभाग

हरियाणा

वर्ष 1971-72

प्रकाशक

निदेशक, शिक्षा विभाग

हरियाणा

शिक्षा विभाग, हरियाणा, की वर्ष 1971-72 की प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा का प्रारूप

रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षा विभाग के श्री माड़ू सिंह मलिक, शिक्षा मंत्री, तथा श्री वी. एल. आहूजा, आई. ए. एस., शिक्षा आयुक्त एवं सचिव रहे। श्री वी. के. सिब्बल, आई ए. एस, ने निदेशक के पद पर कार्य किया। निदेशालय स्तर पर अन्य अधिकारियों के अतिरिक्त श्री वी. एस. माथुर, संयुक्त निदेशक शिक्षा तथा 3 उप-निदेशक, 8 सहायक निदेशक, एक प्रशासन अधिकारी, एक लेखा अधिकारी, एक रजिस्ट्रार, एक बजट अधिकारी, एक सहायक पुरातत्व अधिकारी ने निदेशक शिक्षा के कार्य में सहायता की।

वर्ष 1971-72 मे शिक्षा विभाग का कुल खर्च 1,932.68 लाख रुपये हुआ जिसमें 373.11 लाख रुपये योजना स्तर पर तथा 1,559-57 लाख रुपये योजनेतर स्तर पर हुए। अनुसूचित जाति, पिछड़ी हुई जाति, विमुक्त जाति के छात्रों के लिये 48 लाख रुपये से अधिक राशि की व्यवस्था की गई। राजकीय तथा अराजकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या 31-3-72 को 14,81,169 थी। यह पिछले वर्ष से 53,868 अधिक थी।

वर्ष 1971-72 में विभाग की प्रमुख क्रियाएं निम्न प्रकार की थी :—

(1) वर्ष 1971-72 में 300 नये प्राथमिक स्कूल उन स्थानो में खोले गये जहां पहले प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध न थी। 104 प्राथमिक स्कूलो का स्तर बढ़ा कर मिडल किया गया तथा 100 मिडल स्कूलों का स्तर बढ़ा कर उच्च किया गया। दो स्कूल लड़कियों के लिये नये खोले गये। 31-3-72 की स्थिति अनुसार राज्य में कुल राजकीय मिडल तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की गिनती 1,853 थी।

(2) हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने मार्च 1972 में उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक परीक्षाएं लेने का कार्य सफलतापूर्वक निभाया।

(3) उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई है। उच्च शिक्षा की विकास स्कीम के अन्तर्गत राज्य में निम्नलिखित 2 महाविद्यालय खोले गये तथा एक अराजकीय महाविद्यालय का राष्ट्रीयकरण सरकार द्वारा 14-7-71 से किया गया :—

(क) राजकीय महाविद्यालय, फरीदाबाद ।

(ख) राजकीय महाविद्यालय, भिवानी ।

(ग) महेन्द्रगढ़ महाविद्यालय, महेन्द्रगढ़ (जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया) ।

छात्रो तथा छात्रों की आवश्यकताओं तथा रुचियो को देखते हुए निम्नलिखित महाविद्यालयों में कुछ नये विषयों के अध्ययन की सुविधा देनी भी आरम्भ की गई :—

(1) बी. एम.-सी. बोटनी और ज्योलोजी राजकीय महाविद्यालय, जीन्द ।

(2) समाज शास्त्र (सोशियालोजी) राजकीय महाविद्यालय, कालका ।

(3) नृत्य कला .. राजकीय महाविद्यालय, रोहतक ।

(4) 31 मार्च, 1972 को राज्य में केवल 94 महाविद्यालय थे जिनमें 16 राजकीय तथा 78 अराजकीय महाविद्यालय थे । इन 94 महाविद्यालयों मे 21 महाविद्यालय केवल लड़कियों के लिये है। अराजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयो मे विकास कार्यो को चालू रखने तथा दूसरे अनुसारण/संरक्षण प्रकार का योजना और योजनेत्तर बजट से निम्नलिखित अनुदान भी दिया गया :—

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	..	105.17 लाख रु०
पजाब विश्वविद्यालय	..	37.09 लाख रु०
अराजकीय महाविद्यालय	..	28.37 लाख रु०

(5) किसान साक्षरता योजना, जो राज्य मे 1969-70 से रोहतक जिले में आरम्भ की गई थी का विस्तार गुडगांव तथा हिसार मे भी किया गया । इस योजना के अन्तर्गत किसानो को न केवल लिखना-पढना सिखाया जाता है बल्कि कृषि के नये नये ढंगो तथा उपज के बढाने के उपायों की भी पूरी जानकारी उपलब्ध की जाती है ।

(6) यूनिसैफ स्कीम के अन्तर्गत अध्यापकों को विज्ञान शिक्षा में प्रशिक्षण देने के लिये 11 संस्थाओं को कुंजी संस्थानों के रूप में चुना गया है। इसके अतिरिक्त राज्य शिक्षा संस्थान, जिस की स्थापना 1970 में

हुई थी, में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

(7) वर्ष 1971-72 में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिये बड़े-बड़े प्रायमिक स्कूलों में एक-एक बी. एड. अध्यापक की नियुक्ति की स्कीम भी अपनाई गई है और इस स्कीम के अन्तर्गत 500 बी. एड. अध्यापकों की नियुक्तियां प्राथमिक विद्यालयों में की गई।

(8) राज्य के विद्यार्थियों ने एन. सी. सी. का प्रशिक्षण पाने में काफी रुचि दिखाई है। वर्ष 1971-72 में राज्य में कुल सीनियर डिवीजन 23 और जूनियर डिवीजन 189 चल रहे हैं। महाविद्यालय तथा उच्च तथा उच्चतर विद्यालयों में एन. सी. सी. का प्रशिक्षण पाने वाले जूनियर तथा सीनियर डिवीजनों में कैडिटों की संख्या निम्नलिखित है :—

स्तर	कैडिटों की संख्या
जूनियर डिवीजन	18,886
सीनियर डिवीजन	27,190

(9) स्कूल फीडिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत वर्ष 1971-72 में 2.38 लाख बच्चों को लाभ दिया जा रहा है। हरियाणा शिक्षा विभाग ने इस स्कीम पर 15.16 लाख रुपये खर्च किये।

(10) वर्ष 1971-72 में पहली से आठवीं कक्षाओं तक पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

दिनांक चण्डीगढ़, पी. एल. छाबड़ा,
शिक्षा आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
1 फरवरी; 1973 शिक्षा विभाग।

आदेश दिया जाता है कि इस समीक्षा को हरियाणा राजपत्र में प्रकाशित किया जाये और रिपोर्ट की प्रतियां सभी सम्बन्धित स्तरों पर भेजी जायें।

दिनाक ; चण्डीगढ़; पी. एस. छावड़ा;
शिक्षा आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार;
1 फरवरी, 1973। शिक्षा विभाग।

समालोचना

वर्ष 1971 में हुई जनगणना के अनुसार राज्य में 14.68 प्रतिशत स्त्रियां पढ़ी-लिखी हैं। स्त्रियों का शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन का विशेष कारण यह है कि राज्य के लोग रूढ़िवादी और संकुचित विचार के हैं। कुछ मां-बाप अपनी लड़कियों को इस लिये शिक्षा नहीं दिला पाते क्योंकि निर्धनता के कारण वह शिक्षा पर होने वाला व्यय सहन नहीं कर सकते। सामाजिक रीति-रिवाज भी बाधा बने हुए हैं।

2. इस स्थिति में सुधार लाने के लिये विभाग ने कई एक पग उठाये हैं, जैसे :—

(क) विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। मिडल स्टेज से उच्चतर माध्यमिक स्टेज तक वर्ष 1971-72 में केवल लड़कियों के लिये 1,001 छात्रवृत्तियां दी गईं।

(ख) अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग की लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिये राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों में इन्हें निशुल्क शिक्षा दी जाती है।

(ग) जहां ग्रामीण लोग सह-शिक्षा को पसन्द न करें वहां विभाग द्वारा निर्धारित नीति को ध्यान में रखते हुए लड़कियों के लिये अलग प्राथमिक स्कूल खोलने की व्यवस्था की जाती है।

(घ) महिला छात्राओं से फीस भी लड़कों की अपेक्षा कम ली जाती है।

(च) शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के सम्बन्ध में विधवाओं आदि को तरजीह दी जाती है। इनके लिये कुछ सीटें भी आरक्षित की जाती हैं।

विषय विवरणिका

अध्याय	विषय		पृष्ठ
1.	सामान्य सार	..	1—7
2.	शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन	..	8—11
3.	स्कूल शिक्षा	..	12—18
4.	महाविद्यालय शिक्षा	..	19—21
5.	शिक्षण प्रशिक्षण	..	22—26
6.	समाज शिक्षा	..	27—28
7.	महिला शिक्षा	..	29—32
8.	शिक्षण विकास कार्यक्रम	..	33—36
9.	विविध	..	37—42
10.	परिशिष्ट	..	43—48

अध्याय 1

सामान्य सार

1.1. प्रस्तुत प्रशासनिक रिपोर्ट शिक्षा विभाग की वर्ष 1971-72 की गति-विधियों से सम्बन्धित है।

1.2. 31-3-72 को भिन्न-भिन्न प्रकार की संस्थाएं और उन में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्नलिखित थी :—

संख्या		31-3-72 को संस्थाओ की संख्या	31-3-72 को छात्रों की संख्या
प्राथमिक शालायें	..	4,400	5,40,893
मिडल शालाएं	..	781	2,08,977
उच्च/उच्चतर माध्यमिक शालायें		1,072	6,82,037
महाविद्यालय	..	94	63,817
विश्व विद्यालय (कुरुक्षेत्र)	..	1	53,62

रिपोर्टाधीन अवधि में 300 प्राथमिक पाठशालाये खोली गई, 104 प्राथमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ा कर मिडल तथा 100 मिडल स्कूलों का स्तर उच्च बनाया गया। इसके अतिरिक्त 2 नये अन्य उच्च विद्यालय केवल लड़कियों के लिये खोले गये। इस प्रकार अपग्रेडिंग के कारण पिछले वर्ष की अपेक्षा उच्च/उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं की संख्या में विशेष वृद्धि हुई जिससे माध्यमिक शिक्षा की संस्थाएं उन क्षेत्रों में भी उपलब्ध हो गई है जिनमें पहले यह सुविधा न थी। शिक्षा संस्थाओं के इस विकास के कारण उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या भी पहले से बहुत बढ़ गई है। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 5.8 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

हरियाणा में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जातियों के लोग अपनी आय के कम होने के कारण प्राय: बच्चों को विद्यालयों में शिक्षा प्राप्ति के लिये

नहीं भेजते है। क्योंकि वे बच्चों को शिक्षा दिलवाने में कोई विशेष प्रत्यक्ष लाभ अनुभव नहीं करते हैं। इस स्थिति को सुधारने तथा इन लोगों को शिक्षा की ओर जागृत करने के लिये सरकार द्वारा रिपोर्टाधीन अवधि में एक लाख रुपये की मुफ्त किताबें भी प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले हरिजन बच्चों में बांटने के लिये खरीदीं।

प्राथमिक विद्यालयों का खोलना

1.3. पिछले कुछ वर्षों से छात्र संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण तथा गांवों में अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाने के लिये सरकार ने 300 नये प्राथमिक विद्यालय खोले। प्राथमिक कक्षाओं में अतिरिक्त प्रविष्ट होने वाले बच्चों तथा नये खुलने वाले विद्यालयों के लिये 1,452 जे. बी. टी. अध्यापकों के पद सुचारू रूप से शिक्षा देने के लिये सरकार ने स्वीकृत किये।

अपग्रेडिंग के लिये अतिरिक्त अमला

1.4. रिपोर्टाधीन अवधि मे 104 प्राथमिक स्कूलों का स्तर बढ़ा कर मिडल किया गया और 100 मिडल स्कूलों का स्तर बढ़ा कर उच्च किया गया और दो नये उच्च विद्यालय केवल लड़कियों के लिये खोले गये। इस साल उपरोक्त स्कूलों में दिये जाने वाले नये पदों का व्यौरा निम्नलिखित है :—

				ग्रेड
1.	मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिकाये		102	300—600 रु०
2.	उत्तर स्नातक अध्यापक/अध्यापिकायें		583	220—400 रु०
3.	नान ग्रैजुएट अध्यापक/अध्यापिकायें		100	125—250 रु०
				ग्रेड
4.	पी. टी. आई.	..	204	125—250 रु०
5.	लिपिक	..	102	110—225 रु०
6.	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	..	308	70—85 रु०

महाविद्यालय शिक्षा

1.5. महाविद्यालय शिक्षा के विकास की ओर भी रिपोर्टाधीन अवधि में विशेष ध्यान दिया गया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विकास कार्यक्रमों के लिये योजना बजट से 70 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी गई। इसके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र विश्व विद्यालय के योजनेतर बजट से 35.17 लाख की राशि का अन्य अनुदान भी दिया गया। अराजकीय महाविद्यालयों को 5.95 लाख रुपये का अनुदान विकास कार्यों हेतु दिया और 7.55 लाख रुपये अनुरक्षक अनुदान के रूप में दिये गये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के अनुसार अराजकीय महाविद्यालयों मे संशोधित वेतनमान के अतिरिक्त खर्चे की प्रति पूर्ति हेतु अराजकीय महाविद्यालयों को वित्तीय वर्ष 1971-72 में 14.83 लाख रुपये का सहायता अनुदान भी दिया गया। रोहतक में स्थित पोस्ट-ग्रैजुएट रीजनल सैन्टर जो कि पंजाब विश्व विद्यालय द्वारा चलाया जा रहा है, उसके लिये सरकार ने पंजाब विश्वविद्यालय को 37.09 लाख रुपये का अनुदान भी दिया गया।

अनुसूचित जातियों पिछड़े वर्ग तथा विमुक्त जातियों के बच्चों के शिक्षा प्रोत्साहन हेतु कार्य

1.6. राज्य सरकार अनुसूचित जातियो, पिछड़े वर्ग तथा विमुक्त जातियों के बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में विद्यालयों में भिन्न-भिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां एवं सुविधाएं प्रदान करती है। अनुसूचित जातिया तथा अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को सभी प्रकार की शिक्षा अर्थात् शैक्षणिक, व्यवसायिक, तकनीकी इत्यादि के लिये सुविधाएं तथा आर्थिक सहायता दी जाती है। ऐसे विद्यार्थी बिना किसी भेदभाव के राज्य की सभी मान्यताप्राप्त संस्थाओ मे प्रवेश प्राप्त कर सकते है। उन्हें राज्य की ओर से निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती हैं :—

(1) छट्टी कक्षा से लेकर एम.ए./एम.एस.-सी. कक्षाओं तक निशुल्क शिक्षा ;

(2) नौवी कक्षा से छात्रवृत्तियां स्वीकृत की जाती है।

(3) परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति।

स्कूल स्तर पर इन अनुसूचित जातियों के सभी बच्चों को निशुल्क शिक्षा बिना किसी आय सीमा के देने की छूट है, जबकि अन्य सुविधाओं के लिये उनके माता-पिता या संरक्षक की वार्षिक आय 1,800 रुपये से कम होने चाहिये। पिछड़े वर्ग के छात्रों को सुविधाएं तभी उपलब्ध होती है यदि उन के माता-पिता की आय 1,800 रुपये वार्षिक से कम हो।

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को वर्ष 1971-72 में दी गई छात्रवृत्तियां :—

	योजनेतर पक्ष	योजना पक्ष
	रुपये	रुपये
राज्य सरकार ..	13,50,000	16,81,000
भारत सरकार ..	8,99,620	8,96,000
विमुक्त जाति के छात्रों के लिये	13,300	30,000
कुल ..	22,62,920	26,07,000

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार छात्रावास में रहने वाले छात्रों को 15 रुपये प्रति मास की दर से अतिरिक्त छात्रवृत्ति देती है। इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य के सभी हरिजन छात्र/छात्रों को भारत सरकार की किसी भी शिक्षण, प्रशिक्षण, तकनीकी व्यवसायिक इत्यादि संस्थाओं में पढ़ने के लिये भी छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

भारत सरकार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

1.7. भारत सरकार द्वारा यह योजना महाविद्यालयों में पढ़ने वाले योग्य छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिये चालू की गई थी। इस योजना के अधीन वर्ष 1971-72 में हरियाणा राज्य के विद्यालय/महाविद्यालयों से पास करने वाले 163 छात्रों को नई छात्रवृत्तियां दी गईं और पिछले वर्षों की 318 छात्रवृत्तियों का नवीकरण किया गया। वर्ष 1971-72 में 4.50 लाख रुपये की व्यवस्था थी।

प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के बच्चों के लिए राष्ट्रीय तथा राजकीय छात्रवृति योजना

1.8. इस योजना के अधीन हरियाणा राज्य के अध्यापकों के बच्चों को भिन्न-भिन्न परीक्षाओं के आधार पर प्रति वर्ष लगभग 8 नई छात्रवृत्तियां दी जाती है। राज्य सरकार ने वर्ष 1971-72 में 10 अतिरिक्त छात्रवृत्तियां देने का निर्णय किया है। इस वर्ष कुल 18 नई तथा 28 पिछली छात्रवृत्तियो का नवीकरण किया गया है, जिसके लिये भारत सरकार की ओर से 32,000 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 600 रुपये की व्यवस्था थी।

महाविद्यालय स्तर राज्य छात्रवृत्ति योजना

1.9. इस योजना के अन्तर्गत हरियाणवी योग्य छात्रों को हरियाणा राज्य में मैट्रिक उपरान्त संस्थाओं में पढ़ने के लिये छात्रवत्तियां दी जाती हैं। वर्ष 1971-72 में इस योजना के अधीन योजनेतर पक्ष पर 2,26,620 रुपये तथा योजना पक्ष पर 1,88,400 रुपये की व्यवस्था थी। इससे 512 छात्रों ने लाभ उठाया।

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृति योजना

1.10. इस योजना के अधीन 50 प्रतिशत अंक लेने वाले निर्धन योग्य बच्चों को जिनको कोई अन्य छात्रवृत्ति/सहायता नही मिलती है उन्हें ऋण के आधार पर छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। वर्ष 1971-72 में इस प्रकार की छात्रवृत्तियां 656 विद्यार्थियों को दी गईं।

तैलगू तथा संस्कृत पढनेवाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां।

1.11. इसके अतिरिक्त 9वीं, 10 वीं, 11 वीं, कक्षाओं में योग्य संस्कृत पढने वाले 20 विद्यार्थियों को 10 रुपये प्रति मास की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। मिडल कक्षाओं में तैलगू भाषा की पढ़ाई के लिये भी 10 रुपये प्रति मास की दर से राज्य सरकार की ओर से 96 छात्रवृत्तियों की व्यवस्था है।

प्रशासकीय तथा शिक्षक अमेले की भर्ती

1.12. जिला में शिक्षा के विकास का पूर्ण नियंत्रण जिला शिक्षा अधिकारियों के अधीन है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं। यह अधिकारी निदेशालय की शिक्षा नीति को जिलों में प्रचलित करते हैं। शालय शिक्षा के पूर्ण विकास के लिये यह उत्तरदायी है। उत्तर स्नातक अध्यापकों, मुख्याध्यापकों, प्रधान अध्यापकों इत्यादि का प्रशासनिक नियंत्रण निदेशालय के पास है

वेसिक शिक्षा

1.13. हरियाणा में लगभग सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा बुनियादी शिक्षा प्रणाली के आधार पर ही दी जाती है। प्राथमिक श्रेणियों के पाठ्यक्रम में वेसिक शिक्षा के मूल तत्वों को अपनाया गया है। पाठ्य क्रम को रोचक बनाने के लिये अमोद-प्रमोद खेलों और शिल्पों इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। पिछले कुछ वर्षों से बेसिक शिक्षा की रूपरेखा को समय की आवश्यकता को ध्यान

में रखते हुए नये सांचे में भी ढालने की कोशिश की गई जिसके अनुसार कार्य अनुभव योजना की स्कीम को अपनाया गया है। कार्य अनुभव स्कीम के अन्तर्गत कई प्रकार के कार्यों जैसे शिल्पों, खेतीवाड़ी तथा अन्य कलात्मक कार्यों का भी अनुभव न केवल प्राथमिक श्रेणियों में पढ़ने वाले बालकों को दिया जाता है, परन्तु माध्यमिक स्तर पर भी विद्यालयों की रुचियों के अनुसार इन शिल्पों का अनुभव कराया जाता है, ताकि वर्तमान शिक्षा का विद्यार्थियों के जीवन से सम्बन्ध हो सके ।

शिक्षा पर हुआ व्यय (वर्ष 1971-72)

शिक्षा विभाग के वर्ष 1971-72 का कुल बजट व खर्चा :—

(आंकड़े लाखों में)

		योजना	योजनेतर	कुल खर्चा
		रुपये	रुपये	रुपये
कुल बजट (फाईनल ग्रांट)	..	372.03	1,560.63	1,932.66
कुल खर्चा	..	373.11	1,559.57	1,932.68
		(क) प्रत्यक्ष व्यय		
उच्चतर शिक्षा	..	110.99	141.89	252.88
माध्यमिक शिक्षा	..	152.68	907.18	1,059.86
प्राथमिक शिक्षा	..	61.48	397.30	458.78
स्पैशल शिक्षा पर खर्चा		1.90	3.76	5.66
कुल खर्चा	..	327.05	1,450.13	1,777.18

(ख) परोक्ष व्यय

	योजना	योजनेतर	कुल खर्चा
छात्रवृत्ति और वजीफे इत्यादि	35.97	39.73	75.70
डायरैक्शन ..	5.27	15.94	21.21
इन्सपैक्शन ..	3.86	31.71	35.57
विविध ..	0.96	22.06	23.02
जोड़ ..	46.06	109.44	155.50
कुल जोड़ ..	373.11	1,559.57	1,932.68

अध्याय 2

शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन

2.1. श्री माड़ू सिंह मलिक वर्ष 1971-72 में शिक्षा मंत्री के पद पर आरूढ़ रहे ।

(क) सचिवालय स्तर

सचिवालय स्तर पर श्री बी. एल. आहूजा, आई. ए. एस., शिक्षा आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग के संचालक रहे। उनकी सहायता के लिये श्री जगदीश चन्द्र भोला, आई. ए. एस., ने संयुक्त सचिव तथा श्री सरनागत सिंह, एच. सी. एस., ने अवर सचिव का कार्य संभाला ।

(ख) निदेशालय स्तर

रिपोर्टाधीन अवधि मे श्री वी. के. सिबल, आई. ए. एस., निदेशक, शिक्षा विभाग, के पद पर रहे। पिछले कुछ वर्षों से हरियाणा में शिक्षा सुविधाओं के विकास के कारण शिक्षा संस्थाओं में अत्याधिक वृद्धि हुई है। विकास परियोजनाओं के अतिरिक्त कई प्रकार की शिक्षा में गुणात्मक परियोजनाएं भी आरम्भ की गईं जिसके कारण निदेशालय में कार्य को सुचारूरूप से चलाने के लिये भी सरकार ने वर्ष 1971-72 में एक पद उप-निदेशक योजना श्रेणी I, 3 पद सहायक निदेशक श्रेणी II तथा एक एक पद रजिस्ट्रार शिक्षा और लेखा अधिकारी के भी स्वीकृत किये गये। इस प्रकार निदेशालय स्तर पर निदेशक शिक्षा जी के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य पदों पर अधिकारियों ने कार्य को सुचारूरूप से चलाने के लिये उनको सहयोग दिया :—

(1)	संयुक्त निदेशक शिक्षा (एच. ई. एस. I)	..	1
(2)	उप-निदेशक योजना (एच. ई. एस. I)	..	1
(3)	उप-निदेशक महाविद्यालय (एच. ई. एस.) I	..	1
(4)	उप-निदेशक विद्यालय (एच. ई. एस. I)	..	1
(5)	प्रशासन अधिकारी (एच. सी. एस.)	..	1
(6)	सहायक निदेशक (एच. ई. एस. II)	..	8
(7)	लेखा अधिकारी	..	1
(8)	रजिस्ट्रार	..	1
(9)	वजट अधिकारी	..	1
(10)	सहायक पुरातत्व अधिकारी	..	1

2.2. जिला प्रशासन

राज्य में कुल 7 जिले हैं और प्रत्येक जिला के शिक्षा के प्रशासन/नियंत्रण और शिक्षा संस्थाओं के निरीक्षण का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारियों पर है। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में शिक्षा विकास तथा गुणात्मक सुधार कार्यक्रमों के लिये उत्तरदायी है। इन्ही अधिकारियों के द्वारा सरकार की शिक्षा सम्वन्धी नीति को क्षेत्रों में कार्यरूप दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से राज्य में शिक्षा संस्थाओं की संख्या में विशेष वृद्धि होने के कारण जिलों का प्रशासनिक कार्य अत्याधिक गया था इसलिये जिल. में शिक्षा प्रशासन के विकेन्द्रीयकरण की बहुत आवश्यकता अनुभव हुई। पहली अक्तूबर, 1971 से जिला प्रशासन का विकेन्द्रीयकरण उप मंडल स्तर पर कर दिया। हर एक उप मंडल मे हरियाणा शिक्षा सेवा श्रेणी II के उप-मंडल शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इन अधिकारियों को अपने अपने अधिकार-क्षेत्र में शिक्षा प्रशासन तथा शिक्षा संस्थाओं के निरीक्षण की भी विशेष शक्तियां दी गईं। विकेन्द्रीयकरण से शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण तथा प्रशासन पहले से अच्छा हो जायेगा। इस प्रकार राज्य में 27 उप-मंडल कार्यालय हैं जिनका जिलावार विवरण निम्नलिखित है :—

जिला		उप-मंडल
1. हिसार	..	हिसार भिवानी सिरसा फत्तेहवाद हांसी
2. रोहतक	..	रोहतक झज्जर सोनीपत गोहाना
3. गुड़गांव	..	गुड़गांव नूह फिरोजपुर झिरका पलवल रिवाड़ी बल्लब गढ़
4. करनाल	..	करनाल पानीपत कैथल थानेसर

5. अम्बाला	..	अम्बाला जगाधरी नारायणगढ़
6. जीन्द	..	नरवाना जीन्द
7. महेन्द्रगढ़	..	महेन्द्रगढ चरखीदादरी नारनौल

31-3-72 की स्थिति अनुसार निदेशालय तथा जिला स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों का ब्यौरा परिशिष्ट एक 'क' तथा 'ख' में दिया गया है। श्रेणी I तथा श्रेणी II के कुल पदों की सूची परिशिष्ट 1—ग में दी गई है।

खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने-अपने खण्ड में प्राथमिक शिक्षा के विकास, निरीक्षण तथा प्रशासन के लिये जिला शिक्षा अधिकारी को उत्तरदायी है। सारे राज्य को 107 खण्डों में बांटा हुआ है।

2.3. विद्यालय प्रशासन

राज्य शिक्षा विभाग के नियंत्रण के अधीन दो प्रकार के विद्यालय शिक्षा सुविधाओं को उपलब्ध कर रहे हैं :—

(1) अराजकीय विद्यालय ।

(2) राजकीय विद्यालय ।

शिक्षा विभाग सभी राजकीय विद्यालयों में शिक्षा प्रशासन/विकास के लिये उत्तरदायी है। जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिला के शिक्षा प्रशासन तथा संस्थाओं के नियंत्रण के लिये निदेशक शिक्षा विभाग को उत्तरदायी है। जिला स्तरे पर जिला शिक्षा अधिकारियों की सहायता के लिये एक-एक उप-जिला शिक्षा अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है।

अराजकीय विद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी स्थानीय प्रबन्धक समितियों द्वारा चलाया जाता है। इन सभी विद्यालयों में शिक्षा विभाग की निश्चित शिक्षा नीति के अनुसार ही विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। यह सभी विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा मान्यताप्रात होते हैं। सरकार हर वर्ष इन विद्यालयों

को चलाने के लिये कुछ वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में भी देती है। इन विद्यालयों का निरीक्षण भी राजकीय विद्यालयों की तरह शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा ही किया जाता है।

2.4. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय

राजकीय महाविद्यालयों का प्रशासन/निरीक्षण शिक्षा विभाग द्वारा ही किया जाता है, परन्तु अराजकीय महाविद्यालयों को उनकी अपनी-अपनी संस्थाओं की स्थानीय समितिया ही चलाती हैं, जिनके अधीन यह खोले गये हैं। इन की सभी अराजकीय महाविद्यालयों को राज्य तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा नीति को अपनाना पड़ता है, जिस से यह सम्बद्ध होती है। विश्वविद्यालय आयोग के अतिरिक्त राज्य सरकार भी इन को सहायता के रूप में साधारण तथा विकास अनुदान प्रायः हर वर्ष देती है।

कुरुक्षेत्र में स्थित इस समय केवल एक ही विश्व विद्यालय है जिसके साथ केवल वहां के स्थानीय महाविद्यालय ही नियम अधीन सम्बद्धित है बाकी राज्य के सभी महाविद्यालय पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, से सम्बद्ध है।

अध्याय 3

स्कूल शिक्षा

3.1. समाज में आर्थिक एवं सामाजिक क्रांति लानें में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षित मानव ही राज्य की परम सम्पत्ति है। इस लिये मानव को शिक्षित करने के लिये पिछले 6 वर्षों से शिक्षा सुविधाओं में आश्चर्यचनक वृद्धि हुई है।

जैसा कि प्राथमिक शिक्षा ही उच्च शिक्षा प्रणाली की आधार शिला है इस लिये प्राथमिक शिक्षा को और भी सुदृढ़ करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पूरी तरह से निभा रही है। इस समय सभी राजकीय विद्यालयों में 1 से 8 वीं श्रेणी तक बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है तथा वह अध्यापक जिनका वार्षिक मूल वेतन 4,200 रुपये तक है उनके बच्चों को उच्च/उच्चतर स्तर तक निश्शुल्क शिक्षा प्रदान करने की भी सुविधा सरकार ने दे रखी है। पहले यह सीमा उन अध्यापकों तक सीमित थी जिनका वार्षिक मूल वेतन 3,000 रुपये तक था।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

3.2. हरियाणा राज्य में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की सुविधा केवल नाममात्र की है परन्तु अब शिक्षा विभाग इस के विकास की ओर काफी ध्यान दे रही है। इस समय राज्य में पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 6 है। इस के अतिरिक्त कुछ उच्च विद्यालयों के साथ भी यह श्रेणियां संबंधित है।

प्राथमिक शिक्षा

3.3. प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी करने के लिये वर्ष 1971-72 से 300 नये प्राथमिक विद्यालय (जिनका जिलावार ब्यौरा नीचे दिया है) उन गांवों और स्थानों पर खोले गये हैं जहां पर पहले प्राथमिक शिक्षा की कोई सुविधा न थी।

अम्बाला	..	37
गुड़गांव	..	3
हिसार	..	67
जीन्द	..	21
करनाल	..	32
महेन्द्रगढ़	..	38
रोहतक	..	32

31-3-72 को केवल 4,400 प्राथमिक विद्यालय थे जिनमें केवल 4,313 राजकीय विद्यालय हैं । गत वर्ष की रिपोर्ट में शाखा प्राथमिक विद्यालयों की संख्या भी सम्मिलित थी परन्तु उस रिपोर्ट मे इस संख्या में शाखा प्राथमिक विद्यालय सम्मिलित नहीं किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं कुछ एक माध्यमिक, उच्च/उच्चतर विद्यालयों को छोड़ कर बाकी सभी शालाओं में उपलब्ध है। जिला शिक्षा अधिकारी को भी यह अधिकार दे रखा है कि वह किसी उस क्षेत्र में शाखा प्राथमिक विद्यालय भी खोल सकते है जहां छात्र संख्या उनके लिये पर्याप्त हो।

<u>छात्र संख्या</u>

3.4. राज्य में 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा निश्शुल्क और अनिवार्य दी जाती है इस लिये इस वर्ग के सभी बच्चों को स्कूलों में प्रविष्ट करने के लिये शिक्षण वर्ष के शुरू में छात्र संख्या आन्दोलन भी चलाया गया ताकि अधिक से अधिक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जा सके। इतने पर भी इस आयु वर्ग की छात्र संख्या का प्रतिशत अनुपात अब भी भारत के प्रतिशत अनुपात से काफी कम है। रिपोर्टाधीन अवधि में इस आयु वर्ग के केवल 62.40 प्रतिशत बच्चों ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। हरियाणवीं अधिकतर रूढ़िवादी होने के कारण विशेषकर लड़कियों को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं है। राज्य सरकार लड़कियों की छात्र संख्या बढ़ाने के लिये हर संभव प्रयास कर रही है तथा लड़कियों को कई प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। रिपोर्टाधीन अवधि में सरकार ने साढे पांच लाख रुपये की राशि की मुफ्त किताबे पहली से 5वीं श्रेणी तक की लड़कियों में बांटने के लिये स्वीकृति प्रदान की और एक लाख रुपये की किताबों को प्राथमिक श्रेणियों के हरिजन बच्चों में मुफ्त बांटने के लिये भी खरीदी गईं। वर्ष 1971-72 में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या नीचे तालिका मे दी गई है :—

वर्ष		लड़के	लड़कियां	कुल
1971-72	..	6,60,389	2,69,591	9,29,980

<u>अध्यापक</u>

3.5. रिपोर्टाधीन अवधि में छात्र संख्या में जो वृद्धि हुई है उनको शिक्षा सुचारू रूप से देने के लिये योजना बजट से 1,152 जे. बी. टी. के नये पद स्वीकृत किये गये। केन्द्रीय सरकार की स्कीम के अन्तर्गत 300 नये अतिरिक्त जे. बी. टी. अध्यापकों के पद भी स्वीकृत किये गये थे। वर्ष 1970-71 में 1,000 नये जे. बी. टी. अध्यापकों के पद स्वीकृत किये गये थे। उनमें से 132 पदों को जिलों में उस वर्ष

वितरण नही किया जा सका था, छात्र संख्या में वृद्धि को देखते हुए इन शेष 132 पदों को भी रिपोर्टाधीन अवधि में जिलों में वितरण कर दिया गया। इस प्रकार वर्ष 1971-72 मे कुल 1,584 नये जे. बी. टी. अध्यापकों के पद बनाये गये जिनका वितरण जिलावार ब्योरा नीचे तालिका में दिया है :—

ज़िला		1971-72 में 1,452 नये पदों का वितरण	1970-71 में नये पदों 132, का वितरण	कुल
अम्बाला	..	117	20	137
गुड़गाव	..	207	..	207
हिसार	..	346	26	372
जीन्द	..	36	26	62
करनाल	..	124	20	144
महेन्द्रगढ़	..	101	20	121
रोहतक	..	521	20	541
जोड़	..	1,452	132	1,584

निरीक्षण

3.6. सभी प्राथमिक स्कलों के निरीक्षण का उत्तरदायित्व खंड शिक्षा अधिकारियो पर है। राज्य में 107 खण्ड शिक्षा अधिकारी हैं और हर एक खण्ड शिक्षा अधिकारी के अधीन लगभग 40-50 प्राथमिक विद्यालय हैं। जिला शिक्षा अधिकारी तथा उप-मंडल शिक्षा अधिकारी भी इन विद्यालयों का समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण करते रहते हैं।

माध्यमिक शिक्षा :—

3.7. रिपोर्टाधीन अवधि मे माध्यमिक शिक्षा में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। वर्ष 1971-72 मे राज्य मे प्राथमिक विद्यालयों का स्तर बढ़ा कर उच्च किया गया। इसके अतिरिक्त गन्नौर और कहरावड़ जिला रोहतक में 2 नये उच्च विद्यालय केवल लड़कियों के लिये ही खोले गये है।

चालू वर्ष में स्तर इत्यादि बढ़ाये जाने वाले विद्यालयों का जिलावार व्यौरा नीचे दिया गया है :—

जिले का नाम		प्राथमिक से मिडल	मिडल से हाई
अम्बाला	..	9	6
गुड़गांव	..	17	15
हिसार	..	26	22
जीन्द	..	7	7
करनाल	..	24	22
महेन्द्रगढ़	..	9	10
रोहतक	..	12	18
जोड़	..	104	100

राज्य में 31-3-72 की स्थिति अनुसार माध्यमिक, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है :—

स्तर		राजकीय विद्यालय	अराजकीय विद्यालय	कुल
मिडल विद्यालय	..	747	34	781
उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	..	997	175	1,072

छात्र सख्या

3.8. 31-3-72 की स्थिति अनुसार राज्य में मिडल तथा उच्च तथा उच्चतर स्तर पर पढने वाले विद्यार्थियों की संख्या नाचे तालिका में दी गई है :—

	लड़के	लड़कियां	कुल
मिडल स्तर ..	2,56,802	73,833	3,30,635
उच्च तथा उच्चतर माध्य-मिक स्तर ..	1,35,742	34,934	1,70,676

उपरोक्त छात्र संख्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने का प्रभाव माध्यमिक कक्षाओं में विशेष रूप से पड़ा है जिसके कारण माध्यमिक स्तर पर छात्र संख्या में बहुत वृद्धि हुई है । चालू वर्ष में पिछले वर्ष की अपेक्षा मिडल स्तर पर .17 प्रतिशत वृद्धि तथां उच्च स्तर पर 22.2 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

दोहरीपारी प्रणाली

3.9. विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं का विस्तार उस गति से नहीं किया जा सका जिस गति से माध्यमिक स्तर पर छात्र संख्या में वृद्धि हुई है। इस लिये वर्ष 1971-72 में राज्य के 9 और विद्यालयों में दोहरीपारी प्रणाली अपनाने की स्वीकृति विभाग ने दी ।

सहशिक्षा की नीति

3.10. लगभग सभी प्राथमिक विद्यालयों में सहशिक्षा की अनुमति दी हुई है। मिडल तथा उच्च विद्यालयों में भी सहशिक्षा की स्वीकृति वहां की स्थानीय जनता के अनुरोध पर दे दी जाती है।

व्यवसायिक मार्गदर्शन की सुविधा :—

3.11. विद्यार्थियों को भविष्य के लिये मार्गदर्शन देने की आवश्यकता के महत्व को देखते हुए माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को व्यवसायिक मार्गदर्शन देने हेतु हर जिला में जिला शिक्षाधिकारी के साथ एक एक सहायक परामर्शदाता की नियुक्ति की हुई है। राज्य शिक्षा संस्थान में भी अध्यापकों को कैरियर मास्टर के तौर पर प्रशिक्षण के लिये वहा भी एक परामर्शदाता को नियुक्त किया हुआ है। वर्ष 1971-72 में 46 5 अध्यापकों/मुख्याध्यापकों को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है ।

अतिरिक्त नये पदों का सर्जन

3.12. रिपोर्टाधीन अवधि मे स्कूलों में स्तर बढ़ाने तथा नये खुलने वाले विद्यालयों के लिये निम्नलिखित नये पदों का सृजन किया गया है :—

(1)	मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिकाएं	..	102
(2)	ग्रैजुएट अध्यापक/अध्यापिकाएं	..	583
(3)	जे. बी. टी.	..	100
(4)	सी. वी.	..	204
(5)	पी. टी. आई.	..	102
(6)	लिपिक	..	102
(7)	चतुर्थश्रेणी के कर्मचारी	..	300

अराजकीय विद्यालयों को अनुदान

3.13. वर्ष 1971-72 में अराजकीय विद्यालयों की प्रवन्धक समितियों को पुराने वेतनमान के खर्चे के आधार पर 10.32 लाख रुपये अनुदान के तौर पर दिये गये। यह अनुदान कुल खर्च का 60 से 75 प्रतिशत होता है और इस की अधिकतम वार्षिक सीमा 6,000 रुपये है।

इन विद्यालयों मे संशोधित वेतनमानो के लिये 37.03 लाख रुपये का अनुदान भी दिया गया।

भाषा नीति और भाषाई अल्प संख्या

3.14. हरियाणा एक-भाषी राज्य है और इस की राज्य भाषा हिन्दी है। यह भाषा पहली श्रेणी से ही सभी विद्यालयों में अनिवार्य तौर से प्रथम भाषा के रूप मे पढ़ाई जाती है। उच्च तथा उच्चतर स्तर पर भी हिन्दी ही शिक्षा का माध्यम है।

विद्यालयों में छठी कक्षा से अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। इन विषयों के अतिरिक्त विद्यालयों में राष्ट्रीय एकता लाने के लिये तीसरी भाषा के रूप में सातवीं कक्षा से तैलगू भाषा की पढ़ाई शुरू कर दी गई है। 7 वीं तथा आठवीं श्रेणियों मे पंजाबी, उर्दू और संस्कृत और तैलगू में से विद्यार्थी किसी एक भाषा का अध्ययन तीसरी भाषा के रूप में कर सकते हैं।

हरियाणा में भाषाई अल्प संख्यकों के हित के लिये अपनी भाषा के अध्ययन करने का भी हरियाणा सरकार ने विशेष अधिकार दे रखा है। यदि किसी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय की किसी कक्षा में 10 बच्चे या स्कूल में 40 से अधिक

विद्यार्थी हों वह अपनी भाषा को राज्य भाषा के अतिरिक्त एक विषय के रूप में पढ़ सकते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिये सरकार उनको इस विषय में शिक्षा देने के लिये सुविधा प्रदान करती है। उन अराजकीय स्कूलों को जिन में हरियाणा बनने के समय शिक्षा माध्यम पंजाबी था, पजाबी माध्यम आगे भी जारी रखने के लिये सरकार ने विशेष अनुमति दी है।

तैलगू भाषा की शिक्षा

3.15. वर्ष 1971-72 में 31 अध्यापक जिन्होंने तैलगू भाषा का प्रशिक्षण मैसूर केन्द्र से प्राप्त किया था, वह कुछ चुने हुए स्कूलों में तैलगू भाषा की शिक्षा 7वी, 8वीं श्रेणी के विद्यार्थियों को दे रहे हैं। इस के अतिरिक्त राज्य के 14 और अध्यापकों को यह प्रशिक्षण लेने के लिये मैसूर केन्द्र मे भेजा गया है।

हरियाणा शिक्षा बोर्ड

3.16. शिक्षा बोर्ड विद्यार्थियों की उच्च तथा उच्चतर स्तर पर परीक्षा लेने का उत्तरदायी है। इस के अतिरिक्त यह बोर्ड शिक्षा विभाग की नीति के अनुसार उच्च तथा उच्चतर श्रेणियों के लिये पाठ्यक्रम नियत करता है तथा पाठ्य पुस्तको की स्वीकृति भी प्रदान करता है ताकि विद्यार्थियों को निश्चित कीमत पर पुस्तकें प्राप्त हो सकें।

अध्याय 4

महाविद्यालय शिक्षा

4.1. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में विशेष प्रगति हुई है। इस प्रगति का अनुमान छात्र संख्या तथा उच्च शिक्षा से सम्बन्धित संस्थाओं की संख्या से लगाया जा सकता है। वर्ष 1971-72 में उच्च शिक्षा की विकास योजना के अन्तर्गत राज्य में 2 नये महाविद्यालय फरीदाबाद तथा भिवानी में खोले गये। इसके अतिरिक्त महेन्द्रगढ महाविद्यालय का राष्ट्रीयकरण भी सरकार द्वारा 14-7-71 से किया गया।

युवा विद्यार्थियों की रुचियों तथा आवश्यकताओं को ध्यान मे रखते हुए निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालय में कई और विषयों के अध्ययन की सुविधा भी उपलब्ध की गई जैसे कि :—

(1)	बी. एस. सी. बोटनी, ज्योलोजी	राजकीय महाविद्यालय, जीन्द ।
(2)	समाज शास्त्र (सोशिओलोजी)	राजकीय महाविद्यालय, कालका ।
(3)	नृत्य कला ..	राजकीय महाविद्यालय, रोहतक ।

महाविद्यालयों की संख्या

4.2. 31 मार्च, 1972 को राज्य मे केवल 16 राजकीय और 78 अराजकीय महाविद्यालय हैं। इन 94 महाविद्यालयों मे 21 महाविद्यालय केवल लड़कियों के लिये है। सभी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये महिला महाविद्यालयों को छोड़ कर बाकी सभी राजकीय महाविद्यालयों में सहशिक्षा की अनुमति भी प्रदान की हुई है।

4.3. महाविद्यालय स्तर पर पद सर्जन

महाविद्यालय स्तर पर छात्र संख्या में असीम वृद्धि के कारण निम्नलिखित पदों का वर्ष 1971-72 में सर्जन किया गया।

			बेतनमान रुपयों में
(1)	प्रिंसीपल ..	3	700—1,200
(2)	प्रोफैसर ..	1	700—1,200
(3)	ज्येष्ठ व्याख्याता ..	22	400—800
(4)	व्याख्याता ..	85	300—600

(5) व्यायाम शिक्षक (पी. टी. एस.)	..	3	सरकार के विचाराधीन है
(6) अन्य पद	..	75	

4.4. विश्वविद्यालयों तथा अराजकीय महाविद्यालयों को अनुदान

रिपोर्टाधीन अवधि मे राज्य में शिक्षा विभाग का ध्यान केवल राजकीय महाविद्यालयों के विकास कार्य सम्बन्धी योजनाओं पर ही केन्द्रित नहीं रहा अपितु विश्व विद्यालय तथा अराजकीय महाविद्यालय के विकास कार्यों की गति को बनाये रखने के लिये भी विशेष विकास अनुदान दिये गये। अराजकीय महाविद्यालयो द्वारा सशोधित वेतनमानों के अपनाने के कारण अतिरिक्त खर्च के लिये निम्नलिखित वित्तीय सहायता तथा अनरक्षक अनुदान भी दिये :—

पंजाब विश्व विद्यालय	..	37.09	(35.17 लाख नान प्लान तथा 70 लाख प्लान से दिये)
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	..	105.17	

अराजकीय महाविद्यालय

(क) सधारण अनुदान	..	7.58 लाख
(ख) विकास अनुदान	..	5.95 लाख

अराजकीय महाविद्यालयों में कार्य करने वाले प्रधान अध्यापकों को विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमानों के अतिरिक्त खर्चे के लिये सरकार ने 1971-72 के वित्तीय वर्ष मे 13.99 लाख रुपये का अनुदान अराजकीय महाविद्यालयों को दिया। राज्य सरकार ने 0.85 लाख रुपये अनुरक्ष अनुदान के रूप में अपने भाग का 50 प्रतिशत हिस्सा तथा 50 प्रतिशत अतिरिक्त खर्चा महाविद्यालयों की प्रवन्धक कमेटियों द्वारा दिया गया था।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय

4.5. यह विश्वविद्यालय वर्ष 1960-61 में आरम्भ किया गया था। इस विश्वविद्यालय के साथ केवल वहां के निम्नलिखित महाविद्यालय ही सम्बद्ध है क्योंकि यह विश्वविद्यालय पंजाब विश्वविद्यालय की तरह सम्बधित विश्व-विद्यालय नहीं है :—

1. यूनीवर्सिटी महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र।
2. राजकीय शिक्षा महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र।
3. राजकीय महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र।
4. कृषि महाविद्यालय, कौल।

इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लिये 15 विषयों मे एम. ए. के अध्ययन करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। पिछले कुछ, वर्षों से विश्वविद्यालय में अनुसंधान देने की सुविधा प्रदान की जाती है। इस विश्व विद्यालय के विभिन्न विभागों तथा सम्बधित महाविद्यालयों मे पढ़ने वाले छात्र, छात्राओं की संख्या अगस्त 1972 को 5,362 थी जिसमें 631 लड़कियां और 4,731 लड़के थे। इस विश्वविद्यालय ने भी तृतीय वर्षीय डिगरी कोर्स को अपनाया हुआ है।

पजाब विश्वविद्यालय

4.6. पंजाब विश्वविद्यालय एक सम्वद्ध विश्व विद्यालय है जो कि केन्द्रीय क्षेत्र चंडीगढ़ में स्थित है। इसके साथ हरियाणा राज्य के 78 अराजकीय महाविद्यालय तथा 14 राजकीय महाविद्यालय संवद्धित है। सभी महाविद्यालय पंजाब विश्वविद्यालय की शिक्षा नीति को अपनाते हैं। वर्ष 1971-72 मे हरियाणा में 63,817 छात्र विद्या ग्रहण कर रहे हैं, जिनमें लड़कियां 13,760 और लड़के 50,057 हैं। पोस्ट, ग्रैंजूएट रीजनल सैंटर, रोहतक, मे विद्यार्थियों को एम. ए. के कुछ विषयों के अध्ययन लेने की भी सुविधा प्रदान की हुई है। यह केन्द्र पंजाब विश्वविद्यालय के नियंत्रण के अधीन चल रहा है। इसके विकास के लिये राज्य सरकार प्रति वर्ष पंजाब विश्वविद्यालय को अनुदान देती है।

अध्याय 5

शिक्षण प्रशिक्षण

5.1. प्रशिक्षण ही शिक्षक को समय की नई गतिविधियों तथा शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नये-नये अनुसंधानों से परिचित करवाता है । अध्यापक को अध्यापन कार्य में निपुणता देने के लिये दो प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है :—

(1) सेवा से पहले ।

(2) सेवा अवधि के दौरान (सेवा कालीन) ।

उत्तर-स्नातक स्तर तक प्रशिक्षण देने और माध्यमिक कक्षाओं के लिये अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालयों पर है परन्तु अवर-स्नातक तथा प्राथमिक कक्षाओं केलिये अध्यापक प्रशिक्षण के सारे कार्य का उत्तर-दायित्व राज्य के शिक्षा विभाग पर है। पिछले 7 वर्षों में शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधाओं में बहुत विकास हुआ है जिसके कारण जे० बी० टी० तथा बी० एड० प्रशिक्षण अध्यापक राज्य में पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध हो गये हैं। वर्ष 1971-72 में अध्यापकों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए हरियाणा शिक्षा विभाग ने जे० बी० टी० के प्रशिक्षण की कक्षाएं बन्द कर दी थीं परन्तु नर्सरी (6 से कम आयु के बच्चो के लिए) एवं भाषा अध्यापक प्रशिक्षण की कक्षायें चालू रखने की स्वीकृति कुछ विद्यालयों को प्रदान कर दी गई ताकि राज्य में भाषा अध्यापक और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में पढने वाले बालकों को योग्य अध्यापक पर्याप्त संख्या में मिल सकें ।

सेवा से पहले प्रशिक्षण

5.2. रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में कई प्रकार की प्रशिक्षण की कक्षाओं को चालू रखा गया है :—

(1)	जे० बी० टी० (भाग II) ..	प्राथमिक कक्षाओं के लिये
(2)	नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण कक्षाएं	6 से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिये
(3)	भाषा अध्यापक प्रशिक्षण ..	हिन्दी तथा संस्कृत इत्यादि के विषयों के लिये
(4)	बी० एड० प्रशिक्षण ..	माध्यमिक कक्षाओं केलिये ।
(5)	एम० एड० प्रशिक्षण	

बेसिक ट्रेनिंग प्रशिक्षण (जे० बी० टी)

5.3. वर्ष 1971-72 में राज्य में जे० बी० टी० प्रशिक्षण कक्षाएं चालू करने की स्वीकृति विभाग द्वारा नहीं दी गई थी। परन्तु जे० बी० टी० भाग II की विशेष कक्षाएं जे० बी० टी० भाग I विद्यार्थियों के लिये चालू रखी गई है। इन में लगभग 336 विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त किया ।

नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण कक्षाएं

5.4. राज्य में नर्सरी स्कूलों की संख्या नाम मात्र की ही है । इस लिये इस प्रशिक्षण की ओर अधिक ध्यान नही दिया गया फिर भी इस अवधि में नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण कक्षाएं राज्य में निम्नलिखित विद्यालयों को चालू रखने की अनुमति दी गई :—

1.	सोहन लाल शिक्षा महाविद्यालय, अम्बाला शहर	40 विद्यार्थियों के लिये
2.	भारतीय विद्या मन्दिर, अम्बाला कैन्ट	60 विद्यार्थियो के लिये

ओ० टी० संस्कृत प्रशिक्षण

5.5. हरियाणा राज्य में संस्कृत भाषा तीसरी भाषा के रूप में सातवीं कक्षा से पढ़ानी आरम्भ की जाती है। संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है जिसके कारण संस्कृत अध्यापकों की माग भी काफी बढ गई है। इसलिये निम्नलिखित शिक्षा विद्यालयों में ओ० टी० संस्कृत की कक्षाएं आरम्भ करने की अनुमति दी गई है :—

		विद्यार्थी
1.	छोटू राम शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक ..	40
2.	आर्य हिन्दी महाविद्यालय, चरखी दादरी ..	40
3.	सतीश पब्लिक शिक्षामहाविद्यालय, रिवाड़ी ..	20
4.	छज्जू राम शिक्षा महाविद्यालय, हिसार ..	20
5.	बी० पी० एस० शिक्षा महाविद्यालय, खानपुरकलां	20

ओ० टी० हिन्दी प्रशिक्षण कक्षाएं

5.6. इस अवधि में ओ० टी० हिन्दी अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिये निम्नलिखित संस्थाओ को 40 विद्यार्थी प्रति संस्था कक्षाएं खोलने के लिये स्वीकृति दी गई :—

1. छज्जू राम शिक्षा महाविद्यालय, हिसार।
2. बी० पी० एम० शिक्षा महाविद्यालय, खानपुरकलां, रोहतक।
3. आर्य हिन्दी महाविद्यालय, चरखी दादरी (नारनौल)
4. सतीश पब्लिक महाविद्यालय, रिवाड़ी (गुडगावां)।
5. छोटू राम शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक।
6. राव विरेन्द्र सिह शिक्षा महाविद्यालय, रिवाड़ी (गुड़गावां)।
7. सरल शिक्षा महाविद्यालय, कैथल (करनाल)।
8. सोहन लाल शिक्षा महाविद्यालय, अम्बाला शहर।

बी० एड० प्रशिक्षण कक्षाएं

5.7. माध्यमिक शिक्षा के विकास के कारण बी० एड० अध्यापकों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करने हेतु निम्नलिखित महाविद्यालयो में पंजाब विश्वविद्यालय ने बी० एड० प्रशिक्षण देने हेतु कक्षाएं जारी रखने की स्वीकृति वर्ष 1971-72 में दी थी। इन महाविद्यालयो में 892 लडके और 816 लडकियों ने प्रवेश प्राप्त किया।

	लड़के	लड़कियां
(1) सोहन लाल शिक्षा महाविद्यालय, अम्बाला शहर	90	156
(2) डी० ए० वी० महाविद्यालय, करनाल .	..	100
(3) सरल शिक्षा महाविद्यालय, कैथल ..	56	22
(4) सी० आर० शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक ..	177	73
(5) हिन्दू शिक्षा महाविद्यालय, सोनीपत ..	103	97

	लड़के	लड़के
(6) वी० पी० एस० शिक्षा महाविद्यालय, ग्यानपुर कला	..	127
(7) वैश्य शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक ..	82	68
(8) आर० वी० एम० शिक्षा महाविद्यालय, रिवाड़ी	205	53
(9) सतीश पब्लिक शिक्षा महाविद्यालय, रिवाड़ी ..	116	38
(10) के० एम० शिक्षा महाविद्यालय, भिवानी	115	85
(11) सी० आर० शिक्षा महाविद्यालय, हिसार	129	60
(12) राजकीय शिक्षा महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र ..	128	72
कुल ..	1,201	951

ओ० टी० पंजाबी प्रशिक्षण कक्षाएं

5.8. पंजाबी भाषा की शिक्षा के लिये अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिये राज्य में केवल राव विरेन्द्र सिंह शिक्षा महाविद्यालय, रिवाड़ी में ओ० टी० पंजाबी प्रशिक्षण की कक्षाएं चालू रखने की अनुमति दी गई थी।

एम० एड० की कक्षाएं

5.9. हरियाणा मे एम० एड० की शिक्षा की सुविधाएं केवल राव विरेन्द्र सिंह शिक्षा महाविद्यालय, रिवाडी और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय मे उपलब्ध है। इन दोनों संस्थाओं में 35 विद्यार्थियों ने एम; एड, की शिक्षा प्राप्त की। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र में 18 लड़के और 15 लड़कियां और राव विरेन्द्र सिंह शिक्षा महाविद्यालय, रिवाडी में केवल 1 लडके और 1 महिला ने शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त किया।

हरियाणा राज्य में शिक्षण प्रणाली मे बुनियादी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। यह शिक्षा प्रणाली बालक के जीवन से सम्बन्ध रखती है। इस प्रणाली का बालक की मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है यह प्रणाली बालक के सामाजिक एवं निजि वातावरण से सम्बन्ध रखती है। और इस के द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीन विकास किया जा सकता है। इसकी

महत्वता को ध्यान मे रखते हुए अध्यापक प्रशिक्षण कक्षाओ का पाठ्यक्रम बुनियादी शिक्षा पर ही आधारित किया गया है। जे० बी० टी० तथा बी० एड० प्रशिक्षण इसी प्रणाली का अनुसरण करती है जिससे अध्यापक बालकों को उन के वातावरण के अनुसार ढलने योग्य बना सके । इसलिये हरियाणा राज्य में लगभग सभी प्राथमिक कक्षाओं मे बुनियादी शिक्षा प्रणाली को ही अपनाया गया है।

सेवाकालीन प्रशिक्षण

5.10. अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने में राज्य शिक्षा सस्थान तथा राज्य विज्ञान सस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य शिक्षा सस्थान ने वर्ष 1971-72 मे अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिये 13 सगोष्ठीया कर्मशालाएं आयोजित की गई जिसमे 328 अध्यापको को प्रशिक्षण दिया गया । इस के अतिरिक्त राज्य शिक्षा संस्थान की विभिन्न इकाईयो द्वारा भी कई प्रकार की विशेष संगोष्ठीयां/कर्मशालाओं का आयोजन किया गया ताकि अध्यापको को श्रव्य दृश्य, भाषा, मूल्यांकन और संदर्शन में होने वाले नए अनुसंधानो से परिचित करवाया जा सके ।

प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापको को विज्ञान शिक्षा में प्रशिक्षण देने के लिये राज्य शिक्षा सस्थान द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। यूनीसैफ, स्कीम के अन्तर्गत अध्यापको को विज्ञान के शिक्षण मे प्रशिक्षण देने केलिये 11 संस्थानों के कूजी संस्थानों के रूप मे चुना गया हुआ है। राज्य विज्ञान संस्थान मे वर्ष 1971-72 मे निम्नलिखित कुछ सेवाकालीन प्रशिक्षण विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापको के लिये आयोजित किये गये ।

(1) यूनीसैफ प्रोजैक्ट के अधीन 9 मार्च, 1971 से 8 मई, 1971 तक 76 अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया और वे प्रशिक्षित अध्यापक 80 प्रोजैक्ट स्कूलो मे इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। इन के इस कार्य का निरीक्षण भी इस संस्थान के अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

(2) बी० एस-सी०, बी० एड० विज्ञान अध्यापको के लिये 6-6 सप्ताह के लिये 4 प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किये गये जिसमें राज्य के 144 अध्यापको ने प्रशिक्षण प्राप्त किया ।

(3) 21 फरवरी, 1972 से 31 मार्च, 1972 तक माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों के यूनीसैफ प्रोजैक्ट से संबंधित अध्यापको को चौथी तथा सातवी कक्षा में विज्ञान पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया गया। उपरोक्त सेवाकालीन प्रशिक्षणों के अतिरिक्त अध्यापकों को कई प्रकार का मार्ग-दर्शन भी दिया जाता है।

अध्याय 6

समाज शिक्षा

6.1. पिछले 10 वर्षों मे (1961—71) हरियाणा राज्य की साक्षरता में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । 1971 की सगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता 26.6 प्रतिशत है जबकि 1961 में केवल 19.9 प्रतिशत थी परन्तु आज भी राज्य की 73.4 प्रतिशत जनता अशिक्षित है । इनको शिक्षित करने के लिये शिक्षा बिभाग ने राज्य मे कई प्रकार की समाज शिक्षा परियोजनाएं आरम्भ की हुई है ताकि आधुनिक युग के ज्ञान को इन लोगों तक पहुंचाया जा सके। इस समय राज्य मे प्रौढ़ शिक्षा की तीन प्रकार की परियोजनाएं चल रही है :—

(1) समाज शिक्षा केन्द्र ।
(2) किसान साक्षरता योजना ।
(3) ग्राम शिक्षा मुहिम ।

1. समाज शिक्षा केन्द्र

6.2. ये शिक्षा केन्द्र अभी ज़िला जीन्द और महेन्द्रगढ़ मे ही आरम्भ किये गये है। इन जिलों में इस योजना के अन्तर्गत चुने हुए गांवों में प्रौढ़ शिक्षा का कार्य किया जाता है । इस प्रकार इन गावो मे चलते-फिरते शिक्षा स्कवैडों द्वारा लोगों को शिक्षित करने का कार्य किया जाता है। एक स्कवैड मे लगभग 30 अध्यापक होते है जिन मे पुरुष तथा स्त्रिया भी सम्मिलित है। इन समाज शिक्षा केन्द्रों के निरीक्षण का कार्य 2 अधिकारियों द्वारा किया जाता है जिन में एक मुख्य (हैड) स्कवैड तथा एक महिला निरीक्षण अधिकारी है। ये दोनों अधिकारी इन केन्द्रों को सफलतापूर्वक चलाने के लिये जिला शिक्षा अधिकारी को अपने कार्य के लिये उत्तरदायी है। इन केन्द्रो मे शिक्षा देने के कार्य का समय लोगों की सुविधा के अनुसार रखा जाता है। महिलाओं के लिये यह केन्द्र दोपहर 12 वजे से सांयं 5 वजे तक चलाये जाते हैं और पुरुषो के लिये सांयं 5 बजे से रात्रि के 10 बजे तक चलाये जाते है। इस वर्ष इन दोनो जिलो में 4,800 प्रौढ़ों को साक्षर करने का कार्य सम्पन्न किया गया। इन केन्द्रो मे साधारणयत: निम्नलिखित कार्य-क्रम चलाये जा रहे है :—

(1) शिक्षा तथा कार्य प्रशिक्षण ।
(2) खेलकूद तथा अन्य विनोद क्रियायें इत्यादि। — क्रियायें
(3) समाज सेवा ।
(4) चर्चा तथा प्रवचन ।

महिलाओं को केन्द्रों में पढ़ने-लिखने के अतिरिक्त घरेलू लाभकारी शिल्पों का ज्ञान भी दिया जाता है। गृह कार्य में निपुणता के लिये पौष्टिक खुराक को तैयार करने की भी पूरी पूरी जानकारी दी जाती है। ये केन्द्र एक स्थान पर प्रायः 6 मास तक वहां की जनता को शिक्षा देते हैं तथा वहां की जनता के अनुरोध पर इन केन्द्रों की अवधि को 3 मास और बढ़ाने की भी अनुमति प्रायः दे दी जाती है।

इस योजना के अन्तर्गत शिक्षा विभाग की ओर से समाज शिक्षा सम्बन्धी एक चलती फिरती गाड़ी जिस में जन स्वास्थ्य और शिक्षा सम्बन्धी फिल्में जो कि शिक्षा के प्रति जागृति पैदा करती है, दिखाई जाती है।

2. किसान साक्षरता योजना

6.3. यह परियोजना वर्ष 1969-70 में सब से पहले रोहतक जिले में आरम्भ की गई थी। अब इस योजना का विस्तार अन्य दो जिलो गुड़गावां तथा हिसार में भी किया गया है। इस स्कीम को चलाने का सारा खर्चा भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

इस स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में 6 ब्लाक चुने गये हैं और हर ब्लाक में 10 गांवों को लिया गया है। इस स्कीम के निरीक्षण का कार्य खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है। इन प्रत्येक केन्द्रों में 30 प्रौढ़ों को शिक्षित करने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार हर जिले में 1,800 प्रौढ़ों को शिक्षित करने का प्रवन्ध किया गया है।

ग्रामीण जनता को न केवल पढ़ने लिखने योग्य ही बनाया जाता है अपितु कृषकों को कृषि सम्बन्धी विशेष जानकारी भी दी जाती है तथा उन्हें कृषि करने और उपज बढ़ाने के अनेक नये-नये ढग भी सिखाये जाते हैं वर्ष 1971-72 में भारत सरकार ने इस योजना के लिये 1,59.539 रु० का अनुदान दिया।

3. ग्राम शिक्षा मुहिम

6.4. प्रौढ़ शिक्षा की यह स्कीम "ग्रामीण शिक्षा मुहिम" महाराष्ट्र के नमूने के अनुसार लगाई जा रही है। यह योजना इस समय अम्बाला, करनाल और रोहतक में कार्यान्वित है। प्रत्येक जिले में 100-100 गांवों को चुना गया जहा इस स्कीम को आरम्भ किया गया है। यह स्कीम जिला शिक्षा अधिकारी की देख-भाल में चलाई जा रही है। प्रौढ़ों को शिक्षा देने के लिये प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों के अध्यापकों को लगाया जाता है तथा उन्हे इस अतिरिक्त कार्य के लिये 20 रुपये अतिरिक्त मासिक भता भी दिया जाता है। वर्ष 1971-72 में इन जिलो में इस स्कीम को कार्यान्वित करने हेतु एक लाख 54 हजार रुपये की बजट व्यवस्था भी की गई थी।

अध्याय 7

महिला शिक्षा

7.1. देश के भविष्य के निर्माण का श्रेय स्त्री पर है। स्त्री इस उत्तर-दायित्व को तभी पूरा कर सकती है यदि वह सुशिक्षित होगी। इसलिये आज के समाज में महिला शिक्षा का महत्व पुरुषों की अपेक्षा और भी अधिक है।

पिछले 6 वर्षों से महिला शिक्षा में विशेष प्रगति हुई है और इस प्रगति का क्रम रिपोर्टाधीन अवधि में भी बना रहा है। हरियाणा शिक्षा विभाग ने भी महिला शिक्षा को और प्रोत्साहन देने हेतु वर्ष 1971-72 में कई प्रकार की सुविधाएं पढ़ने वाली लड़कियों को स्कूलों में उपलब्ध की हैं जिससे अधिक संख्या में ग्रामीण तथा पिछड़े हुए शहरी क्षेत्रों से लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर सकें।

छात्र वृत्तियां

7.2. राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की अतिरिक्त छात्रवृत्तियां केवल लड़कियों को इस विचार से भी दी जाती हैं कि वह भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और उनके माता-पिता अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा में बाधक न बन सकें। अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग की लड़कियों को भी प्रोत्साहन देने के लिये महा-विद्यालय स्तर तक उन लड़कियों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है जिन के माता-पिता की आय निश्चित सीमा से कम होती है। इस के अतिरिक्त इन्हें छात्र वृत्तियां और वित्तीय अनुदान भी दिया जाता है। अराजकीय संस्थाओं को इस वर्ग की कन्याओं को निःशुल्क शिक्षा देने के बदले राज्य सरकार द्वारा विशेष सहायता अनुदान भी दिया जाता है। कन्याओं को वर्ष 1970-71 में दी गई छात्रवृत्तियों का ब्योरा निम्नलिखित है :—

छात्रवृत्ति का नाम		केवल लड़कियों के लिये संख्या	मासिक दर
			रुपए
1. मिडल स्कूल	..	406	10
2. उच्च स्कूल योग्यता छात्रवृत्ति		406	15

छात्रवृत्ति का नाम	केवल लडकियों के लिये संख्या	दर
3. राज्य योग्यता छात्रवृत्ति मैट्रिक-27 उच्चतर माध्यमिक प्रथम भाग	48	22
4. भारत सरकार की योग्यता छात्र-वृत्ति संस्कृत पढ़ने के लिये (मिडल स्कूल परीक्षा के आधार पर उच्च कक्षा के लिये)	7	10
5. महाविद्यालय स्तर पर ..	लड़के/लड़कियों के लिये	
(1) एम० ए०/एम०एस-सी०	कामन (एक छात्रवृत्ति)	300
(2) बी० ए०, बी० एस-सी०	35	110
	कामन छात्रवृत्तियां लड़के/लड़कियों के लिये	
(3) प्रेप ..	35	45
(4) उच्चतर माध्यमिक भाग II	63 (सम)	45

संस्थाओं में लड़कियों की संख्या को बढाने के कार्यक्रम

7.3 (ख) बहुत से ग्रामीण लोग लड़कियों को सह-शिक्षा विद्यालयों में भेजना पसन्द नहीं करते इसलिये शिक्षा विभाग ने यह निर्णय किया है कि यदि ग्राम निवासी लडकियों के स्कूलों केलिये स्कूल भवन देने केलिये तैयार हों और लड़कियों की संख्या यथेष्ट हो और एक मील के दायरे में लड़कियों केलिये कोई और विद्यालय न हो तो उस गांव में लड़कियों केलिये अलग विद्यालय भी खोल दिये जायें ।

(ग) स्कूलों में महिला छात्रों की फीस भी लड़कों के मुकाबले में कम ली जाती है ।

(घ) शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के सम्बन्ध में दुखी स्त्रियों, विधवाओं और अपने पति से अलग रहने वाली तथा विवाह विच्छेद वाली स्त्रियों को विद्यालयों में प्राथमिकता दी जाती है और उन के लिये शिक्षण विद्यालयों में भी कुछ स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। राज्य सरकार ने लड़कियों को लड़कों के प्रशिक्षण विद्यालयों में स्थानों की उपलब्धी के अनुसार भी प्रवेश प्राप्त करने की सुविधा भी दे रखी है।

(ङ) चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना में राज्य मे लड़कियों एवं स्त्री शिक्षकों केलिये 5 संयुक्त छात्रावासों के निर्माण का कार्यक्रम भी शुरु कर दिया है। इन संयुक्त छात्रावासों में महिला अध्यापिकाएं तथा लड़कियां साथ साथ रह सकेंगीं ।

(च) जहां तक सम्भव होता है प्राथमिक विद्यालयों और सह-शिक्षा वाले विद्यालयों में महिला अध्यापिकाओं की नियुक्तियां की जाती है।

(छ) वर्ष 1971-72 में प्राथमिक कक्षाओं में पढने वाली कन्याओं को शिक्षा के लिये प्रोत्साहन देने के लिये सभी कन्याओं को राज्य सरकार ने मुफ्त किताबें बांटने केलिये साढ़े पांच लाख रुपये की लागत से किताबे वितरण करने के लिये खरीदीं।

(ज) उन अध्यापिकाओं को जो अपने विद्यालयों में लड़कियों की संख्या में 50 प्रतिशत या कम से कम 50 लड़कियों की प्रवेश संख्या प्राथमिक कक्षाओं में बढ़ायेंगे उन को प्रशंसा तथा कुछ विशेष रियायतें जैसे कि मासिक वेतन का 10 प्रतिशत (रैमोनरेशन) और एक सप्ताह का अवकाश इत्यादि भी दिया जायेगा ।

महिला विद्यालयों की संख्या

7.4. वर्ष 1971-72 में निम्नलिखित राजकीय तथा अराजकीय विद्यालयों में केवल महिलाओ को शिक्षा देने की सुविधा थी।

संस्था का प्रकार	राजकीय	अराजकीय	कुल
मिडल स्कूल	80	12	92
उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	120	65	185
महाविद्यालय ..	2	19	21

महिला छात्र-संख्या

7.5. रिर्पोटाधीन अवधि में महिला विद्यार्थियों की संख्या में भी उन्नति हुई है। रिर्पोटाधीन अवधि में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या में तो विशेष वृद्धि हुई है जो कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :—

शिक्षा अवस्था		वर्ष 1970-71	वर्ष 1971-72	वृद्धि
				प्रतिशत
पहली से पांचवीं	..	2,54,248	2,66,436	4.8
छट्टी से आठवीं	..	72,871	75,076	3.0
नोवीं से ग्यारहवीं	..	31,392	34,271	9.2
महाविद्यालय स्तर	..	13,209	14,391	9.0

अध्याय 8

शिक्षण सुधार कार्यक्रम

शिक्षा सुविधाओं के विकास के साथ-साथ शिक्षा में गुणात्मक सुधारों के लिये विभाग द्वारा विशेष पग उठाये जा रहे हैं ताकि विकास के साथ शिक्षा के स्तर मे कोई न्यूनता न आए ।

शिक्षण सुधार कार्यक्रमो मे राज्य शिक्षा सस्थान तथा राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान का भी विशेष महत्व है। इन संस्थानों मे अध्यापकों को शिक्षण कार्यों में मार्गदर्शन देने केलिये कई प्रकार के अनुसंधानो तथा शिक्षा सम्बंधी समस्याओं का हल ढूंढ़ने की कोशिश की जाती है ।इस केलिये इन संस्थानो में अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने की पूरी पूरी व्यवस्था की गई है। हर वर्ष कई प्रकार के प्रशिक्षण कोर्सों का आयोजन किया जाता है।

राज्य शिक्षा संस्थान

8.2. राज्य शिक्षा संस्थन की स्थापना राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार करने के लिये स्थापना की गई थी।रिर्पोटाधीन अवधि में इस संस्थान में एक परामर्शदात्री समिति की स्थापना की गई जिसके अध्यक्ष हरियाणा राज्य के शिक्षा मंत्री होंगे।इस समय इस संस्थान का कार्य चार भागों में विभाजित किया हुआ है।

1. अनुसंथापन एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण विभाग.—इस विभाग द्वारा रिर्पोटाधीन अवधि में शिक्षा के विभिन्न-विभिन्न क्षेत्रो से प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के अध्यापकों केलिये कुल 79 संगोष्ठियों/कर्मशालाओ का आयोजन किया गया जिन में प्रतिभागियों की संख्या 2,146 थी।

2. अनुसंधान विभाग.—वर्ष 1971-72 मे इस विभाग द्वारा किये जाने वाले कुछ अनुसंधानो का व्यौरा निम्नलिखित है।

(1) 32 स्कूलो के लिये कृषि, गणित तथा सामाजिक अध्ययन के लिये उद्देयोन्मुख प्रश्न-पत्र बनाये गये ।

(2) पाठान्तर क्रियाओं में भाग लेने वाले लड़कों को शैक्षणिक स्तर केलिये अनुसधान कार्य आरम्भ किया गया है।

(3) हरियाणा प्रदेश की 3 भाषाओं की आहिरवादी, बांगड़, मेवाती की शब्दावलियो का एकीकरण।

(4) प्राथमिक स्तर तक हरियाणा में लड़कियों की शिक्षा का सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य को आरम्भ किया गया ।

(5) शिक्षा में श्रव्य दृश्य साधनो का प्रयोग।

(6) प्राथमिक पाठशालाओ के लिये न्यूनतम श्रव्य दृश्य सामग्री।

3. प्रकाशन.—प्रकाशन इकाई द्वारा हर वर्ष कई प्रकार के शिक्षा सम्बन्धी प्रकाशन निकाले जाते हैं।

4. विविध.—राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा कई प्रकार के कुछ निम्नलिखित विविध कार्य भी किये जाते हैं :—

(1) शाला सगम के अन्तर्गत कार्यभार संभालने वाले अध्यापकों का प्रशिक्षण ।

(2) हरियाणा प्रदेश के विद्यालयो मे राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित परियोजनाओं से सम्बन्ध अनुसारण कार्य ।

(3) एन० सी० ई० आर० टी० तथा शिक्षा विभाग, हरियाणा की ओर से प्राप्त होने वाली पुस्तक/पुस्तिकाओं की आलोचानात्मक टिप्पणियां।

(4) शिक्षा सम्बन्धी प्रतियोग्यताओं का आयोजन करना।

(5) श्रव्य दृश्य सामग्री तथा एलबमों का निर्माण।

राज्य विज्ञान संस्थान

8.3. विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिये इस संस्थान में विज्ञान प्रयोगशालाओं की भी व्यवस्था की गई है। सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त विज्ञान संस्थान विद्यालयो में विज्ञान अध्ययन के प्रति जागृति पैदा करने के लिये कई प्रकार की राज्य स्तर पर वैज्ञानिक संगोष्ठीयों एवं वैज्ञानिक शालाओं का आयोजन किया जाता है। 17 फरवरी, 1972 से 19 फरवरी, 1972 तक राज्य स्तर पर वैज्ञानिक मेले का आयोजन किया जिन मे वहुत से स्कूलो और विद्यार्थियों ने भाग लिया।

यूनीसैफ प्रोग्राम

8.4. इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न-विभिन्न जिलों के 50 प्राथमिक तथा 30 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिये (2,2 प्रति विद्यालय) विज्ञान प्रशिक्षण का कार्य भी आरम्भ किया गया । इस के अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1970-71 में 4 संस्थाओं को 'की' (key) सस्थान

के रूप मे भी चुना गया । वर्ष 1971-72 में इसी तरह की 11 और संस्थाओ को 'key' संस्थान चुना गया है । इस प्रकार राज्य में 15 संस्थाएं 'key' के रूप में विज्ञान की प्रगति के लिये कार्य कर रही है ।

प्राथमिक विद्यालयो में बी० एड० अध्यापिकाओं की नियुक्ति

8.5. प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा में गुणात्मक सुधारो के लिये बड़े विद्यालयों में एक-एक बी० एड० अध्यापक की नियुक्ति की स्कीम भी अपनाई गई है जिसके अन्तर्गत वर्ष 1971-72 में 500 बी० एड० अध्यापक प्रायमिक विद्यालयों मे लगाये गये हैं ।

कार्य अनुभव योजना

8.6. यह योजना बेसिक शिक्षा के उद्देश्यो पर आधारित है । स्कूलो में बच्चो को बचपन से ही कई प्रकार के स्थानीय शिल्पो इत्यादि का अनुभव दिया जाता है । यह योजना वर्ष 1969-70 में 25 उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो मे तथा 15 मिडल तथा 20 प्राथमिक विद्यालयों मे आरम्भ की गई है । अब इस योजना का और विस्तार किया गया है । अब इन की संख्या बढ़कर 75 उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक, 45 मिडल तथा 60 प्राथमिक विद्यालय हो गई जहां इस योजना के अधीन विद्यार्थियों को कार्य अनुभव का ज्ञान दिया जाता है ।

शाला सगम

8.7. कुठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार शाला सगम की परियोजना वर्ष 1969-70 से आरम्भ की गई । इस के अन्तर्गत कुछ एक निकटवर्ती प्राथमिक और मिडल विद्यालयों को उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से संबंधित कर दिया जाता है ताकि यह विद्यालय इन उच्च विद्यालयो में स्थित प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयो तथा अन्य शिक्षण सामग्री इत्यादि का लाभ उठा सके । इस के अतिरिक्त यह शाला संगम विद्यालय सबंधित विद्यालयो के अध्यापको और विद्यार्थियों को सुचारू रूप से शिक्षा ग्रहण करने के लिये मार्गदर्शन दे सके । रिपोंटाधीन अवधि मे निम्नलिखित 10 उच्च तथा उच्चतर विद्यालयो में शाला संगम स्थापित किये गये हैं :—

(1) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फरीदाबाद (एन. आई. टी.)
(2) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गुड़गावां ।

(3) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शाहबाद (करनाल)।

(4) राजकीय उच्चतर माध्यमिक (कन्या) विद्यालय, अम्बाला शहर।

(5) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हांसी (हिसार)।

(6) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फतेहाबाद (हिसार।)।

(7) राजकीय उच्च विद्यालय, सांपला (रोहतक)।

(8) राजकीय उच्च (कन्या) विद्यालय फरमाना (रोहतक)।

(9) राजकीय उच्च विद्यालय, बौद (महेन्द्रगढ़)।

(10) राजकीय उच्च विद्यालय, उचाना (जींद)।

ऐसे विद्यालयो की संख्या अब 24 होगई है। नये चुने गये विद्यालयो में प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों तथा अन्य साज सामान की उपलब्धि के लिय आरम्भ में 8,000 रुपये प्रति विद्यालय को राशि अनुदान दी जाती है ताकि यह शालायें अपने-अपने क्षेत्र की प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयो के अध्यापकों और विद्यार्थियों को सुचारु रूप से शिक्षा ग्रहण करने केलिये मार्गदर्शन दे सकें तथा अन्य ऐसे विद्यालयों को प्रतिवर्ष 1,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है।

भौतिक सुविधाएँ तथा सुधारात्मक कार्य

8.8. हरियाणा के बहुत से प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयो के भवनों की हालत काफी दयनीय है। विद्यार्थियों के बैठने केलिये ठीक प्रकार के कमरे तथा अन्य साज सामान की बड़ी कमी है। उन के सुधार केलिये शिक्षा विभाग गांवों की पंचायतो तथा वहां के समुदाय की सहायता से स्कूलो मे नये नये भवनों के बनवाने तथा उन में पूरा-पूरा सामान जुटाने केलिये भरसक प्रयत्न कर रही है। जहां पर श्रेणियों केलिये पूरे कमरे इत्यादि नहीं है, वहा पर सस्ते शैड बनवाने की भी व्यवस्था की गई है। चौथी पंचवर्षीय योजना की भौतिक सुविधाओं की सुधार स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1971-72 मे निम्नलिखित राशि स्थानीय पंचायतो तथा लोगों को मैचिंग अनुदान के रूप मे स्वीकृत की गई। पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्थानीय जनता तथा सरकार 25 : 75 तथा दूसरे क्षेत्रो में 50 :50 के अनुपात से राशि अंशदान भी करती है।

स्तर		50 : 50 अनुपात	25 : 75 अनुपात
प्राथमिक शालाओ केलिये	..	5 लाख रुपये	5 लाख रुपये
मिडल शालाओं के लिये	..	3 लाख रुपये	3 लाख रुपये
उच्च उच्चतर माध्यमिक शालाएं	..	2 लाख रुपये	..

इस के अतिरिक्त वर्ष 1971-72 योजनेतर बजट से 5.27 लाख रुपये की राशि सरकार द्वारा विद्यालयो के भवनों की मुरम्मत केलिये भी स्वीकृत की गई।

अध्याय 9

विविध

शारीरिक शिक्षा

9.1. वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शारीरिक शिक्षा को अब एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। एक एक पी० टी० अध्यापक का पद शारीरिक शिक्षा तथा खेल कूद क्रियाओं में विद्यार्थियों को निपुण करने के लिये उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापकों को प्रशिक्षिण के दौरान ही कुछ शारीरिक शिक्षा का भी प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि प्राथमिक कक्षाओं में बालकों की शारीरिक शक्ति का विकास ठीक ढंग से कर सकें।

पंजाब पुर्नगठन के समय हरियाणा राज्य मे कोई भी शारीरिक शिक्षा का विद्यालय/महाविद्यालय नहीं था। इस कमी को दूर करने के लिये शिक्षा विभाग ने शारीरिक शिक्षा, प्रशिक्षण परीक्षा का आयोजन किया। निम्नलिखित महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा अध्यापक प्रशिक्षण की श्रेणियों का प्रबन्ध है :—

(1) छज्जू राम महाविद्यालय, हिसार।

(2) भगत फूल सिंह शिक्षा महाविद्यालय, खानपुरकलां (रोहतक)।

(3) जनता बेसिक ट्रेनिंग स्कूल, बुटाना (रोहतक)।

वर्ष 1971-72 में इन महाविद्यालयों में 390 विद्यार्थियों ने अध्यापक प्रशिक्षण की शिक्षा प्राप्त की है।

नेशनल फिटनैस कोर

9.2. प्राथमिक, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नेशनल फिटनेस कोर (एन. डी. एस.) योजना के अधीन भी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाती है। इनका पाठ्यक्रम विभागीय पाठ्य क्रम के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित है। यह स्कीम राजकीय तथा अराजकीय दोनों प्रकार की संस्थाओं में लाई जा रही है। वर्ष 1971-72 में इस स्कीम के अन्तर्गत 376 अध्यापक हरियाणा के अलग-अलग विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं और उनके कार्य निरीक्षण के लिये चार पर्यवेक्षक नियुक्त हैं।

खेलकूद क्रियाएं

9.3. विद्यार्थियों को शारीरिक शिक्षा के अतिरिक्त विद्यालयों में खेलकूद प्रतियोगिता मे भाग लेने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। दूसरे राज्यों तथा राज्य के विभिन्न-विभिन्न जिलों के साथ प्रतियोगिताओं में भाग लेने केलिये विद्यालयो में लड़के और लड़कियों की अलग अलग खेलों केलिये टीमें तैयार करने के इस कार्य में खेल विभाग शिक्षा विभाग को पूरा पूरा सहयोग देता है। जिला प्रतियोगिता में जो टीमें आगे रहती हैं उन्हें दूसरे जिलों की टीमों से खेलने केलिये भेजी जाती हैं। हरियाणा राज्य भारत खेल फैडरेशन का भी सदस्य है।

एन० सी० सी०

9.4. विद्यालयों तथा महाविद्यालयो के छात्रों को मिल्टरी सम्बन्धी शिक्षा देने हेतु भारत सरकार ने वर्ष 1948 में एन० सी० सी० को चालू किया। यह स्कीम भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाये गये नियमो अनुसार चलाई जा रही है। इस राज्य में इस स्कीम के अन्तर्गत सेना की तीनों शाखायें जैसे कि मैदानी, समुद्री तथा वायु सेनाओ का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। महाविद्यालय स्तर के छात्रों केलिये सीनियर डिवीजन तथा स्कूल छात्रों केलिये जूनियर डिवीजन स्थापित किये हुये हैं। छात्रायें भी दोनों डिवीजनों के मैदानी सेना का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध में उपरोक्त एन० सी० सी० का प्रशिक्षण महा-विद्यालय स्तर पर सभी छात्रों/छात्राओ केलिये अनिवार्य कर दिया गया था परन्तु वर्ष 1967-68 में पंजाब विश्वविद्यालय ने इस विषय की अनिवार्यता हटा दी थी।

इस स्कीम के कार्यक्रम को चलाने का खर्च भारत सरकार तथा राज्य सरकार दोनों मिल कर नियमानुसार करती हैं। वर्ष 1971-72 में हरियाणा राज्य में सीनियर-जूनियर डिवीजन की बटालियन तथा उन में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या इस प्रकार है :—

सीनियर डिवीजन

(1) इनफैन्टरी बटेलियन (लड़कों केलिये)	..	16
(2) इनफैन्टरी वटेयिलन (लड़कियों केलिये)	..	2
(3) वायु सकैडरन	..	2
(4) जल बटेलियन	..	1

(5) ग्रुप हैड क्वाटरज़	..	2
कुल	..	23

जूनियर डिवीजन

(1) सैनिक विंग टरप (लड़कों के लिये)	..	155
(2) सैनिक विंग टरप (लड़कियों के लिये)	..	14
(3) जल विंग	..	5
(4) वायु विंग	..	15
कुल	..	189

छात्र कैडिटों की संख्या जिन्होंने वर्ष 1971-72 में प्रशिक्षण प्राप्त किया:—

		सीनियर डिवीजन	जूनियर डिवीजन
(1) इनफैन्टरी बटैलियन	..	21,784	14,995
(2) गर्लज़ बटैलियन	..	4,849	2,117
(3) वायु	..	375	1,324
(4) जल	..	182	450
कुल	..	27,190	18,886

एन० एस० एस०

कालिज छात्रों के व्यक्तित्व और उन के बौद्धिक विकास के लिये भारत सरकार ने एन० एस० एस० की नई योजना लागू की है। हरियाणा सरकार ने राज्य में स्थित कालिजों के छात्रों के लिये इस को वर्ष 1970-71 से लागू करना मान लिया है। भारत सरकार और राज्य सरकार में इस स्कीम के अन्तर्गत किये जाने वाले खर्च की बांट 7.5 के अनुपात में है। वर्ष 1971-72 में लगभग 4.33 लाख रुपए का

खर्च इस योजना के अन्तर्गत किया गया है । आरम्भ में यह स्कीम 3896 विद्यार्थियों में चलाई गई है। रिर्पोटाधीन अवधि में 5 अधिकारियों द्वारा 100 प्रशिक्षित विद्यार्थियों ने चक्रआटा (बिलासपुर, मध्यप्रदेश) मे शरणार्थी शिविर में बंगला देश से आये शरणार्थियों की सहायता केलिये भाग लिया । वहां के शरणार्थी शिविर के कमाडर ने भी इन के व्यवहार की प्रशंसा की है।

भारत स्काउट तथा गाईडस

भारत स्काउट तथा गाईड संस्था राष्ट्र के नव युवकों तथा नवयुवतियों में सेवा तथा रक्षा की भावना को उत्पन्न करने मे बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। यह आदोलन विद्यालयों मे विद्यार्थियो के चरित्र निर्माण पर भी विशेष बल दे रहा है । इस आदोलन की एक शाखा हरियाणा राज्य मे हरियाणा भारत स्काउट तथा गाईड के नाम से स्थापित की गई है। इस संस्था की प्रगति केलिये शिक्षा विभाग प्रति वर्ष 56,000 रुपये अनुदान के रूप में इस सस्था को देता है। रिर्पोटाधीन अवधि में बुआएज स्काउट तथा गर्ल गाईड सदस्यों की संख्या निम्न प्रकार रही है :—

स्काउटस एवं कबस	..	20,289
गाईडस एवं बुलबलस	..	2,884
स्काउटस ट्रप	..	399
कब पैक	..	563
गाईड कपनिया	..	70
बुलबुल फ्लोक	..	80

विद्यार्थियो के चरित्र निर्माण, उन में सेवा की भावना को उत्पन्न करने केलिये प्रशिक्षण कैम्प भी लगाये जाते हैं। 2 अगस्त से 10 अगस्त, 1970 तक जापान में हुई जम्बूरी में भी हरियाणा के 4 प्रैजीडैन्ट स्काउट ने भाग लिया । हरियाणा स्टेट के चीफ कमीशनर श्री वी. के. सिब्बल ने भी भारतीय दल के उप-नेता विश्व स्काउट कान्फैंस भारतीय प्रतिनिधि के रूप मे भाग लिया।

भारत सेवक समाज तथा रैड क्रस

देश मे अन्य राज्यो की तरह हरियाणा राज्य में भी भारत सेवक समाज तथा रेड क्रास सस्थाओं की शाखाये कार्य कर रही हैं। रैड क्रास संस्था को वित्तीय सहायता प्रदान करने केलिये प्राथमिक कक्षाओं में छात्रो से पांच पैसे तथा मिडल कक्षाओं से दस पैसे तथा हाई और हायर सैकेण्डरी कक्षाओं के छात्रो से 15 पैसे प्रति छात्र मासिक चन्दा रैड क्रास फड के रूप में लिए जाते है। यह राशि जिला

स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारियो द्वारा एकत्रित करके राज्य के रैंडक्रास कार्यालय को भेजी जाती है। जिला स्तर पर जे. आर. सी. सब-कमेटी बनी हुई है जिनके अध्यक्ष जिला शिक्षा अधिकारी है।

स्कूल फिडिंग प्रोग्राम

इस स्कीम के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन का लाभ केवल सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के तथा मिडल, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक शालाओं में प्राथमिक विभागों में पढ़ने वाले बालक ही ले रहे हैं। इस के अन्तर्गत बच्चों को सी० एस० एम० तथा सलाद आईल से बनी वस्तुएं दी जाती हैं। यह स्कीम 83 शिक्षा खंडों में चल रही है । 1971-72 में 3.25 लाख बच्चों को इस स्कीम के अन्तर्गत लाना था परन्तु लगभग 238,429 बच्चे ही इस स्कीम के अन्तर्गत आ सके। वर्ष 1971-72 में केयर संस्था ने 69.71 लाख रुपये की खाद्य सामग्री मुफ्त दी । हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से इस स्कीम पर 15.16 लाख रुपये का खर्च हुआ । इस योजना को और अधिक सुचारू रूप से चलाने केलिये निदेशालय स्तर पर सात मैम्बरज की एक कमेटी बनाई गई है ।

पाठ्य पुस्तकें तथा पाठ्यक्रम

वर्ष 1971-72 मे पहली से आठवीं कक्षाओं तक पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है।

आज के समय की आवश्यताकओ को देखते हुए हरियाणा राज्य के बनने के पश्चात् पहली से आठवीं कक्षाओं तक पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन किया गया है। पाठ्यक्रम में सुधार करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता, धर्म निरपेक्षता और मानव मूल्यों को बढ़ावा देने वाले विचारों, जातपात और मानव छूआछूत विरोधी भावनाओं के साथ साथ हरियाणा की संस्कृतिक पृष्ठभूमि और उसका स्थानीय इतिहास तथा उस के वीरो और महापुरूषों के बारे में भी जानकारी दी जाये ।

जिला पुस्ताकलय

चौथी पचवर्षीय योजना में हर जिले में एक एक पुस्तकालय खोलने की व्यवस्था की है। रिर्पोटाधीन अवधि में राज्य में 6 पुस्तकालय स्थापित है। वर्ष

1971-72 में रोहतक में एक पुस्ताकलय आरम्भ किया है। इन पुस्तकालयों पर शिक्षा विभाग का नियन्त्रण है। पुस्तकालयों की सदस्य संख्या और पुस्तक संख्या निम्न प्रकार है :—

(1) 31 मार्च, 1972 को कुल पुस्तकों की संख्या		61,102
(2) 1 अप्रैल, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक पुस्तकों के संग्रह में वृद्धि	..	7,926
(3) 1 अप्रैल, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक सदस्यों की संख्या	..	485
(4) 31 मार्च, 1972 तक कुल सदस्य संख्या	..	2,863
(5) 1 अप्रैल, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक किया गया कुल खर्च	..	2,07,102

सस्कृत भाषा का विकास

संस्कृत भाषा को हरियाणा की भाषा नीति में तृतीय भाषा के रूप में तथा सातवीं कक्षा से पढाने की व्यवस्था है इस भाषा के प्रोत्साहन के लिये भारत सरकार द्वारा चलाई गई निम्नलिखित योजनाओं को हरियाणा में क्रियान्वित किया जा रहा है :—

(1) केन्द्रीय परियोजिक योजना.—उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत भाषा का विकास इस योजना के अधीन संस्कृत अध्यापक हरियाणा के चार स्कूलों में कार्य कर रहे हैं।

(2) संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण केन्द्रीय परियोजिक योजना के अधीन एक सस्कृत पाठशाला मे सामान्य विज्ञान तथा गणित का एक अध्यापक देने के बारे में केस सरकार के विचाराधीन है।

परिशिष्ट I 'क'

21 मार्च, 1972 को निदेशालय स्तर पर काम करने वाले श्रेणी I तथा श्रेणी II के अधिकारियों के नाम तथा कुल पद

क्रम संख्या	पद नाम	वर्ग अधिकारी	नाम	विशेष कथन
1	2	3	4	5
1	निदेशक ..	I	श्री बी० के० सिबल, आई० ए० एस०	..
2	सम	I	..	रिक्त
3	संयुक्त निदेशक ..	I	श्री बी० एस० माथुर	
4	उप-निदेशक (विद्यालय)	I	श्रीमती पी० जे० आर० डी० आहूजा	
5	उप-निदेशक	I	श्री जगदीश राज	
6	उप-निदेशक (महा-(विद्यालय)	I	डा० एस० एस० गुप्ता	
7	प्रशासन अधिकारी	I	श्री आर० एस० कैले (दिनांक 20 सितम्बर, 1971 तक) श्री आर० पी० राव (दिनांक 20 सितम्बर, 1971 से आगे)	
8	सहायक निदेशक (एन० सी० सी०)	II	श्री के० सी० पल्टा	
9	सहायक निदेशक (छात्र-वृत्ति)	II	श्री धर्म देव चौधरी	
10	सहायक निदेशक (परीक्षा)	II	श्री जे० पी० सुन्दरलाल	

ऋक संख्य	पद नामे	वर्ग अधिकारी	नाम	विशेष कथन
1	2	3	4	5
11	सहायक निदेशक (ग्राकड़ा)	II	श्रीमति पुष्पा ग्रबरोल	
12	सहायक निदेशक (विद्यालय)	II	श्री बी० डी० शैदा	

क्रम संख्या	पद नाम	वर्ग अधिकारी	नाम	विशेष कथन
1	2	3	4	5
13	सहायक निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)	II	श्री इंद्र सैन घई	
14	सहायक निदेशक (समाज शिक्षा)	II	श्री के० एल० जाकिर	
15	सहायक निदेशक (पुस्तक)	II	रिक्त	
16	सहायक पुरातत्व अधिकारी	II	श्री ग्रार० एस० विष्ट	
17	लेखा ग्रधिकारी	II	श्री डी० ग्रार० तलवाड़	
18	रजिस्ट्रार, शिक्षा ..	II	श्री प्रीतम सिंह	
19	बजट ग्रधिकारी	II	श्री कृष्ण गोपाल	

परिशिष्ट 'ख'

31 मार्च, 1972 को जिलास्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी तथा उप-मण्डल शिक्षा अधिकारियों के नाम व ग्रेड

क्रम संख्या	जिला	जिला शिक्षा अधिकारियों का नाम	उप जिला शिक्षा अधिकारियों के नाम	उप-मण्डल शिक्षा अधिकारियों के नाम
1	2	3	4	5
1.	अम्बाला ..	श्री बिपिन बिहारी लाल	श्री ओ० पी० बतरा	श्री विजय सिंह, श्री वी० एन० डूडेजा कुमारी पी० ग्रोवर
2.	गुड़गांव ..	डा. एस.एन.बत्रा	मिस कृष्णा चोपड़ा	श्री एस. एल. सहगल, कुमारी सी. एल. गुलाटी, श्री टेकचन्द पुरी
3.	करनाल ..	श्री एस. डी, खुराना,	श्रीमति पी.कपूर	श्री जे. के. सूद, श्री वी. आर. गोयल, श्रीमति जानकी बाई, श्री होशियार सिह
4.	हिसार ..	श्री आर. एस. सूद	मिस विजय भोला	श्री जय लाल, श्री लाजपतराय पोपली, श्री आर. एस. गुप्ता, श्री ओ. पी. सेठ, श्री एम. पी. सहगल

क्रम संख्या	जिला	ज़िला शिक्षा सधिकारियों का नाम	उप-ज़िला शिक्षा अधिकारियों के नाम	उप-मण्डल शिक्षा अधिकारियों के नाम
1	2	3	4	5
5.	रोहतक	श्री धर्म सिंह ढिल्लों	श्रीमति सत्या सचदेवा	श्री वी. एस. पासी, श्री ज्ञान स्वरूप, श्री जे. डी. भटेजा, श्री ओ. पी. गुप्ता
6.	जींद	श्री एम. पी. जैन	कुमारी सत्या ठाकुर	श्री जगबीर सिंह
7.	महेन्द्रगढ़	श्री सोहन लाल	श्रीमति कमला मित्तल	श्री प्रेम प्रकाश, श्री ओ. पी. दिवान, श्री सोहन लाल

नोट 1.—जिला शिक्षा अधिकारी के पद को श्रेणी I में वेतनमान 700—40—980/40—1,100—50—1,200 है तथा उप-जिला शिक्षा अधिकारी तथा उप-मण्डल शिक्षा अधिकारी के पद का श्रेणी II का वेतनमान 400—800 है।

नोट 2.—सर्वश्री एस. एन. वत्रा, एम. डी. खुराना, तथा सोहन लाल, जिला शिक्षा अधिकारी, के श्रेणी I के पद पर अपने श्रेणो II के पद के वेतनमान 400—800 में कार्य कर रहे हैं।

परिशिष्ट 1 'ग'

31 मार्च, 1972 के अनुसार श्रेणी I तथा II के कुल पद कालिजों और स्कूलों के अलग अलग

क्रम संख्या	पद नाम	वर्ग	कुल संख्या
1	2	3	4
1	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय ..	I	16
2	प्रोफैसर, रा० महाविद्यालय ..	I	4
3	निदेशक, राजकीय शिक्षा संस्थान, गुड़गांव	I	1
4	निदेशक, राजकीय विज्ञान संस्थान, करनाल	I	1
5	निदेशक, राजकीय शैक्षणिक एवं माध्यमिक संदर्शन, गुड़गांवां	I	1
6	सम्पर्क अधिकारी ..	I	1
7	प्राचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक ..	II	79

क्रम संख्या	पद नाम	वर्ग	कुल संख्या
1	2	3	4
8	प्राचार्य, जे. बी. टी. स्कूल ..	II	4
9	वरिष्ठ विशेषज्ञ ..	II	3

क्रम संख्या	पद नाम	वर्ग	कुल संख्या
1	2	3	4
10	विज्ञान परामर्शी ..	II	2
11	मूल्यांकन अधिकारी ..	II	2
12	परामर्शदाता, शिक्षा संस्था, गुडगांवां ..	II	1
13	मनोवैज्ञानिक/वरिष्ठ प्राध्यापक ..	II	179
14	उपमण्डल-शिक्षा अधिकारी/उप-जिला शिक्षा अधिकारी	II	34
15	तकनीकी प्राध्यापक ..	II	7
16	राज्य पुस्तकाध्यक्ष ..	II	1

9624 DPI—Govt. Press, Chd.